

फर्द अहकाम

प्रभाग

बनाम

हजारीलाल व अन्य

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही 22/12/2009

नाम न्यायालय

केस संख्या 22/2009

वाद

विशेष विवरण

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	02/12/19	बं. फ. उप. गवाह उपर नही थे। आज्ञा पेशी पर गवाह आवश्यक कप से पेश करें। आज्ञा पेशी पर गवाह उपस्थित होने पर साक्ष्य कही स्वतः ही बंद मानी जायेगी। स्व गवाह से जिरह नही करने पर जिरह भी बंद मानी जायेगी। फावली कास्ते जिरह दिनांक 11/12/19 को पेश हो।
	11/12/19	बं. फ. उप. साक्ष्य वादी में ताबूत की अचानक तकीपत हो जाने के कारण अचिक्ता में प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायद्वि में साक्ष्य हेतु आन्तम समप दिया जाता है। आज्ञा पेशी तक साक्ष्य आवश्यक रूप से पेश करें। साक्ष्य पेश नही करने पर फावली स्वतः की शारीर मानी जावेगी। फावली वादों जिरह दिनांक 13/12/19 को पेश हो।
	13/12/19	फावली पेश हुई काही अधिकता ने नोइंस्त्राण प्लोड किया। तकोल प्रसिदी उपर हमने फावली का सत लेकन किया गया। फावली काही समय हे साक्ष्यगी हेतु लाभित वाली साक्ष्य किगत लागी। पेशी का न्यायालय राजाकार साक्ष्य पेश नही करने पर फावली स्वतः। अकारिज के आडवा डिये गये थे जिसके कारण साक्ष्य पेश नही की जाता, काही अधिकता

No Testimony
Plaintiff
13/12/19

[Signature]

[Signature]

फर्द अहकाम

पुयाग बनाम टजारी साहू व अन्य

विशेष विवरण

दिनांक 22/2009

वाद

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>नोट इन्कवायन प्लीड किया गया है जबकि वादी अधिकता द्वारा आदेश पेश की जाती थी आदेश से बचने के लिए वादी अधिकता द्वारा नोट इन्कवायन प्लीड किया है न्यायालय आदेश में कड़ी का आदेश के अभाव में रजिस्ट्रार किया जाना उचित प्रतीत होगा कि अतः कड़ी का आदेश रजिस्ट्रार किया जाता है पंजाबली फेसल बुमा टोका वर्ज नभा से कभरे तथा दाखिले फरवरी 09</p>	
		<p><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर चौमू (बयपुर)</p>	

